संख्या-04/2018/773/29-2-2017-773/17

प्रेषक,

शीतला प्रसाद ।।

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

खाद्य एवं रसद विभाग,

उ0प्र0, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 22 मई, 2018

विषय- श्री महेश चन्द, चोकीदार, जिलापूर्ति कार्यालय ललितपुर की पूर्व बुन्देल खण्ड विकास निगम लि0 झॉसी में चौकीदार/चपरासी के पद पर की गयी सेवा को जोड़ने व वेतन संरक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4276/आ0पू0अधि0-04/2016, दिनांक 23-08-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री महेश चन्द, जिलापूर्ति कार्यालय ललितपुर में चौकीदार के पद पर दिनांक 20-09-1994 को योगदान करने से पूर्व बुन्देल खण्ड विकास निगम लि0 झॉसी में चौकीदार/चपरासी के पद पर दिनांक 16-11-1977 से 19-09-1994 तक सेवायें की गयी। उल्लेखनीय है कि श्री महेश चन्द, बुन्देल खण्ड विकास निगम लि0 झॉसी के छॅटनीशुदा चतुर्थ श्रेणी कर्मी है। बुन्देल खण्ड विकास निगम लि0 झॉसी में सेवा समाप्ति की तिथि को श्री महेश चन्द वेतनमान रू0 750-940 में रू0 940/- अन्तिम मूल वेतन प्राप्त कर रहे थे। बुन्देल खण्ड विकास निगम लि0 झॉसी के छटनीशुदा कर्मियों की राजकीय सेवा में नियुक्ति पर वेतन संरक्षण की व्यवस्था कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-3/20/92-का0-2/93, दिनांक 11-11-1993 में है। श्री महेश चन्द के वेतनमान रू0 750-940 में अन्तिम मूल वेतन रू0 940 (अधिकतम) प्राप्त कर रहे थे। नियुक्त पद के वेतनमान रू0 2550-3200 में रू0 2550/-प्रतिमाह होगा।

3- अत: श्री महेश चन्द द्वारा रू0 2550-3200 के वेतनमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिलापूर्ति कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 20-09-1994 को उनका वेतन रू0 2550/- (प्राथमिक स्तर) प्रतिमाह के स्तर पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम- 27 के अन्तर्गत संरक्षित करने में आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। श्री महेश चन्द को उक्त पद/वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी होने पर देय होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के अशा0 पत्र संख्या-जी(2)314/×/18, दिनांक 15-05-18 द्वारा उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(शीतला प्रसाद ।।)
विशेष सचिव।

संख्या-यथोक्त तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- जिलापूर्ति अधिकारी, ललितपुर ।
3- संबंधित कोषाधिकारी को आयुक्त, खाद्य एवं रसद के माध्यम से ।
4- श्री महेश चन्द, चौकीदार/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को खाद्यायुक्त के माध्यम से।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।